न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 19 / 2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
पुष्पेन्द्र कंवर पत्नी गिरवरसिंह निवासी उदेशी कुआं, तहसील सोजत जिला पाली।		1. श्रीमती विमला कंवर पत्नि राजेन्द्र कुकुलोत निवासी– रायपुर जिला पाली। 2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर के द्वारा राजस्व वाद संख्या 02 / 2019 विमला कंवर बनाम चांपा पुत्र भूरसिंह वगैराह में दिनांक 11.10.2019 को पारित किया गया।

उपस्थितीः—

1. श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः07 फरवरी, 2022

अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर के द्वारा राजस्व वाद संख्या 02 / 2019 विमला कंवर बनाम चांपा पुत्र भूरसिंह वगैराह में दिनांक 11.10.2019 को पारित आदेश के विरूद्व यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 27.01.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत यह प्रस्तुत किया कि उनकी खातेदारी की खेत खसरा संख्या 1319 / 1680 रकबा 15 बीघा भूमि ग्राम मौजा रेलमगरा में आई हुई है जिसके अडौसी पडौसी खातेदार नाजायज व अवैध रूप से कब्जा करना चाहते है और नीव सीव व पालडोल को लेकर से झगडा करते है, इसलिये सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगढी की जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

7/2/2022

डिवीजनल कमिश्नर

3. रेस्पो0 संख्या एक के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर उसे स्वीकार करते हुए एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 111,128 राज0 भू राजस्व के तहत जो आलौच्य आदेश पारित किया है वो प्रावधानों के विपरित पारित किया गया है। अपीलान्ट के कब्जाशुदा भूमि पर औधोगिक पर्यअन इकाई व आवासीय प्रयोजन हो चुकी है एवं विभिन्न ख0सं0 1319/1618, 1319/26, 1319/1686, 1319/54, 1319/82, 1319/35, 1319/147, 1319/16, 1319/1693, 1319/156, 1319/154, 1319/164, 1319/148, 1319/31, 1319/151 के रूप में आई हुई है।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 02/2019 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2019 की जानकारी दिनांक 10.11.2021 को अपीलान्ट को तब हुई जब तहसीलदार रायपुर पाली के कार्यालय आदेश दिनांक 2.11.2021 के द्वारा उक्त वादग्रस्त खसरा संख्या 1319/1680 रकबा 15 बीघा भूमि पर जरिये सीमाकंन पत्थरगढी करने हेतु टीम बनाई जाकर दिनांक 8.11.2021 को कार्यवाही करने के आदेश दिये गये है। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी रेस्पो0 संख्या एक के पुत्र द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 22.06.2017 की जानकारी हुई। जिसकी अलग से न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि पूर्व में ख0सं0 1319/35 व ख0सं0 1319/1686 की तरमीम सही ढंग से नहीं होने बाबत महेन्द्र कुमार के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जो राजस्व वाद संख्या 8/2016 बअनवान महेन्द्रकुमार बनाम पुष्पेन्द्र कंवर वगैराह के नाम दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई करते हुए उक्त पर दिनांक 5.5.2017 को आदेश पारित किये जिसे पर तरमीम हो गई। उक्त आदेश को किसी भी व्यथित व्यक्ति ने चुनौती नहीं दी गई और वो आज दिन तक कायम रही है। जिसके पश्चात ख0सं0 1319/1688 की भूमि पर औधोगिक, पर्यटन इकाई व आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाया जा चुका है। इसके ख0सं0

7/2/2022
डिविजनल कमिश्नर

1319/1680 की भूमि अपीलान्ट की तरमीमशुदा ख0सं0 1319/164 व 1319/1688 के पास स्थित नहीं है। जो सडक सीमा से 500 फुट दूर आई हुई है। उसके सम्बन्ध में एक वाद पूर्व खातेदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 16/14 सुशीला बनाम राज्य तरमीम हेतु विचाराधीन है। राजस्व अधिकारियों की मिलीभगती से 1319/1680 को जबरन फंसाया जा रहा है। रेस्पो0 संख्या एक के पडौस में ही लगते हुए अपीलान्ट के उल्लेखित खातेदारी रूपान्तरित शुदा भूमियॉ आई हुई है। इसलिये ख0सं0 1319/1680 की भूमि के पैमाइश इत्यादि के बाबत किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाता है तो उससे पूर्व अपीलान्ट को भी कानूनन आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई किये जाने के बाद भी ही किसी प्रकार कोई आदेश पारित किया जा सकता है। परन्तु रेस्पो0 संख्या एक ने अपने अपीलाधीन प्रार्थना पत्र में उन्हें किसी प्रकार से कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने, एकपक्षीय होने व आवश्यक पक्षकार बनाये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे भी उसके प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अधिकारों का हनन होता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अन्त में यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त समस्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावें एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2019 को निरस्त किया जावे।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपनी खातेदारी वाले खेत खसरा संख्या 1319/52 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा बीघा भूमि जो ग्राम मौजा रेलमगरा में आई हुई है जिसके पडौस खातेदार नाजायज रूप से कब्जा करना चाहते है इसलिये सीमांकन करवाया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विधिसम्मत प्रकिया के अनुसार सीमाकंन शुल्क प्राप्त कर बाद सीमाकंन पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये है।

7/2/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

9. रेस्पो0 संख्या एक के उक्त खसरा भूमि के पडौस में ही आई हुई खसरान: भूमि की वह खातेदार (अपीलान्ट) है, जिन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें भी सुनवाई एवं पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये था।

10. हरेक न्यायालय की मंशा यह रहनी चाहिये कि न्यायालयों के प्रकरणों का निस्तारण अवश्य हो, उसके साथ ही प्रकरण में न्याय होते हुए भी दिखना चाहिये एवं किसी पक्षकार के प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों का हनन भी नहीं हो। ऐसे में उपरोक्त सभी आब्जर्वेशनों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की उपस्थिती में मौके की रिपोर्ट तथा अपीलार्थी को अपना सुनवाई/साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, रायपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

11. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रायपुर को प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में सभी पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। रिमाण्ड प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति भी बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 07 फरवरी, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

7/2/2022

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिविजनल कमिश्नर,
जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर